



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsbikaner.ac.in

क्रमांक : प.03(02)मगंसिविबी/संस्था./2025/ 2072

दिनांक : 20/5/25

कार्यालय आदेश

प्रमुख शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग, (ग्रुप-2) की अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2025 (राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित) द्वारा राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 10) की पालना में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में जहां कहीं भी विद्यमान शब्द 'कुलपति' आया है, के स्थान पर शब्द "कुलगुरु" प्रतिस्थापित किया जाता है।

(अरविन्द बिश्नोई)
कुलसचिव

क्रमांक : प.03(02)मगंसिविबी/संस्था./2025/ 2073-87 दिनांक : 20/5/25

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, बीकानेर।
5. निजी सचिव, कुलगुरु, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. निजी सहायक-कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. वरि. निजी सहायक-वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/सह-प्रभारी/निदेशक-सेन्टर्स/सेल प्रभारी।
9. निदेशक, शोध/परीक्षा नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. अतिरिक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
11. सम्पदा अधिकारी/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष।
12. आहरण-वितरण अधिकारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
13. कनिष्ठ विधि अधिकारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में अद्यतन करावें।
14. समस्त प्राचार्यगण सम्बद्ध महाविद्यालय।
15. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

19.5.25
d.p.c